सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala

कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala

विषय – सूची

अध्याय 1 प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-3
अध्याय 2 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4-5
अध्याय 3 संरक्षित क्षेत्र - कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल का स्थान और अवस्थिति		
3.1	संरक्षित क्षेत्र का स्थान और अवस्थिति	6
3.2	संरक्षित क्षेत्र की संरक्षित सीमा	7
	3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	7
3.3	संरक्षित क्षेत्र का इतिहास	8
3.4	संरक्षित क्षेत्र का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	8
3.5	वर्तमान स्थिति	8
	3.5.1 संरक्षित क्षेत्र की स्थिति-स्थिति का आकलन	8
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	8
अध्याय 4 स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो		
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	9
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	9
अध्याय 5 प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना		
5.1	संरक्षित क्षेत्र की सर्वेक्षण योजना	10
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	10
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	10
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	10-11
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	11
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	12

	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊँचाई	12-13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन यदि उपलब्ध हों	13
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	13
	5.2.8 संरक्षित क्षेत्र तक पहुंच	13
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	13
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	13
	अध्याय 6 **संरक्षित क्षेत्र की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व**	
6.1	वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	14
6.2	संरक्षित क्षेत्र की संवेदनशीलता	14-15
6.3	संरक्षित क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	15
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	15
6.5	संरक्षित क्षेत्र के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष	15
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	15
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	15
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	16
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	16
6.10	संरक्षित क्षेत्र और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	16
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	16
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना	17
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	17
	6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	17
	6.13.2 पुनर्निर्माण	17
	6.13.3 नया निर्माण	18-20
6.14	आगंतुक सुविधाएं और साधन	20
	अध्याय 7 **स्थल विशिष्ट सिफारिशें**	
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	21
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	22

CONTENTS		
CHAPTER 1 PRELIMINARY		
1.1	Short title, Extent and Commencements	23
1.2	Definitions	24-25
CHAPTER 2 Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of the Act	26
2.2	Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws	26
2.3	Rights and Responsibilities of Applicant	26-27
CHAPTER 3 Location and Setting of Protected Area – Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala		
3.1	Location and Setting of the Protected Area	28-29
3.2	Protected boundary of the Protected Area	30
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	30
3.3	History of the Protected Area	30
3.4	Description of the Protected Area (Architectural features, Elements, Materials etc.)	30
3.5	Current Status	31
	3.5.1 Condition of Protected Area - condition assessment	31
	3.5.2 Daily footfall and occasional gathering numbers	31
CHAPTER 4 Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	32
4.2	Existing Guidelines of the Local Bodies	32
CHAPTER 5 Information as per First Schedule and Survey Plan		
5.1	Survey Plan of Protected Area	33
5.2	Analysis of surveyed data	33
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	33
	5.2.2 Description of built-up area	33-34
	5.2.3 Description of green/open spaces	34
	5.2.4 Area covered under circulation - roads, footpaths etc.	35
	5.2.5 Existing Heights of the buildings	35-36
	5.2.6 State Protected Monument and listed Heritage Buildings	36
	5.2.7 Public amenities	36

	5.2.8 Access to the Protected Area	36
	5.2.9 Infrastructure services	36
	5.2.10 Proposed Zoning of the area as per Local Bodies	36
CHAPTER 6 Architectural, Historical and Archaeological Value of the Protected Area		
6.1	Architectural, Historical and Archaeological Value	37
6.2	Sensitivity of the Protected Area	37-38
6.3	Visibility from the Protected Area and visibility from the Regulated Area	38
6.4	Land-use to be identified	38
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Area	38
6.6	Cultural Landscapes	38
6.7	Significant natural landscapes	38
6.8	Usage of open space and constructions	39
6.9	Traditional, Historical and Cultural activities	39
6.10	Skyline as visible from the Protected Area and from Regulated Areas	39
6.11	Traditional Architecture	39
6.12	Developmental Plan, as available, by the local authorities	40
6.13	Permissible Building related parameters	40
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	40
	6.13.2 Reconstruction	40
	6.13.3 New Construction	41-43
6.14	Visitor facilities and amenities	43
CHAPTER 7 Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	44
7.2	Other Recommendations	44

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala	46
अनुलग्नक-II Annexure-II	संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचना Notification of the Protected Area	47-49
अनुलग्नक-III Annexure–III	कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल की संरक्षित सीमा Protected Boundary of Burial Caves of Kattakampal, District Thrissur, Kerala	50
अनुलग्नक-IV Annexure-IV	संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र Images of the Protected Area and its surrounding areas	51-57

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित क्षेत्र **"कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हैरिटेज (इनटैक), नई दिल्ली के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 12.02.2025 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय 1

प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित क्षेत्र **"कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारको के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ़) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 2

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारक की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन: निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय 3

संरक्षित क्षेत्र – कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल का स्थान और अवस्थिति

3.1 संरक्षित क्षेत्र का स्थान और अवस्थिति:

कट्टकम्पल की दफन गुफा, केरल के त्रिशूर जिले के चौवन्नूर ब्लॉक पंचायत के अंतर्गत, कुन्नमकुलम तालुका में कट्टकम्पल ग्राम पंचायत के अंतर्गत कट्टकम्पल गाँव में स्थित है।

निकटतम हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो नेदुम्बस्सेरी में स्थित है जो दक्षिण में लगभग 79 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन त्रिशूर रेलवे स्टेशन है जो संरक्षित क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। निकटतम शहर और बस स्टेशन कुन्नमकुलम है, जो संरक्षित क्षेत्र से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और पोर्कुलम-कट्टकम्पल सड़क के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। कट्टकम्पल की दफन गुफा, कट्टकम्पल गाँव के वाणिज्यिक बाजार के मध्य में स्थित है।

केरल के मध्य क्षेत्र में स्थित त्रिशूर जिला इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध है। यह क्षेत्र विशेष रूप से अपने महापाषाण संस्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। जिले में पाए जाने वाले महापाषाण प्रकार हैं *डोलमेन, सिस्ट, मेनहिर, कुडाकल्लु* या *छतरी पत्थर, टोपिकल्लु* या *टोपी के पत्थर*, और *शैलकृत गुफाएँ*। त्रिशूर की शैलकृत गुफाएँ कुन्नमकुलम तालुका के चौवन्नूर, कंदनस्सेरी, पोर्कलम, एय्याल और कट्टकम्पल में पाई जाती हैं।

कट्टकम्पल की दफन गुफा, व्यावसायिक इमारतों से घिरे, व्यस्त पोर्कलम-कट्टकम्पल मार्ग पर स्थित है। इस व्यस्त सीमा के आगे, संरक्षित क्षेत्र एक कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र में बसा है, जो हरे-भरे देशी वनस्पतियों से युक्त है। आसपास का क्षेत्र सांस्कृतिक स्थलों से समृद्ध है, जिनमें चिराकल जुमा मस्जिद, रूढ़िवादी कुरिशु पल्ली और कट्टकम्पल भगवती मंदिर शामिल हैं जो क्षेत्र की विविध विशेषता को दर्शाते हैं। आस-पास के हरे-भरे स्थान, जिनका उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया जाता है और नगरपालिका जल निकाय इस स्थल के पारिस्थितिक और स्थानिक आकर्षण को और बढ़ाते हैं।

संरक्षित क्षेत्र के भौगोलिक निर्देशांक इस प्रकार हैं:

अक्षांश: 10°41'13.50" उत्तर; **देशांतर:** 76°02'21.0" पूर्व।

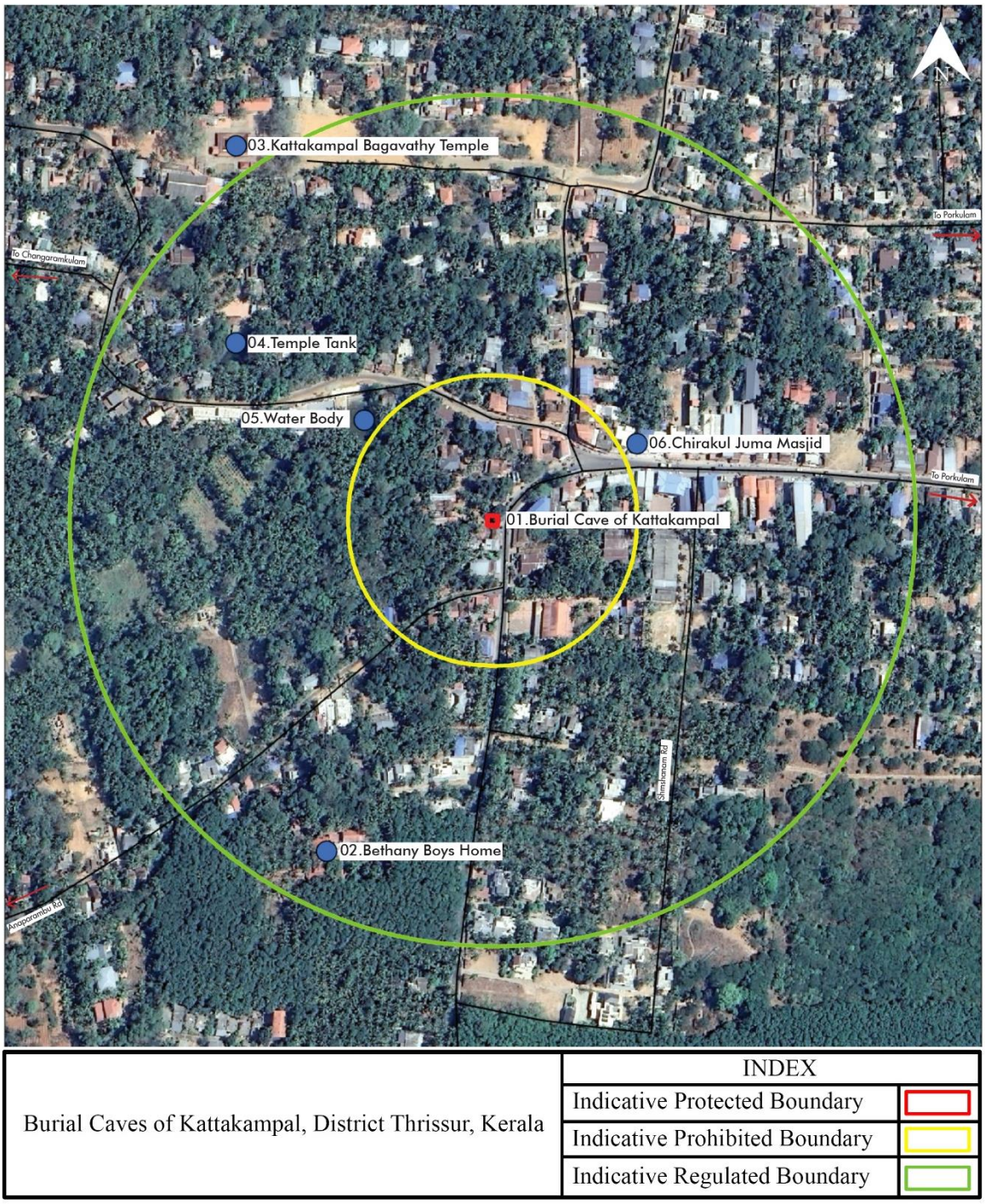

चित्र 1: कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल के स्थान और अवस्थिति को दर्शाता उपग्रह चित्र

3.2 संरक्षित क्षेत्र की संरक्षित सीमा:

संरक्षित क्षेत्र - कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल की संरक्षित सीमा को **अनुलग्नक-I** में देखा जा सकता है।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल के संरक्षित क्षेत्र की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संरक्षित क्षेत्र का इतिहास:

महापाषाणकालीन दफन गुफाएँ मुख्यतः लौह युग के पुरातात्विक अवशेष हैं जो केरल में भौतिक संस्कृति के एक चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं।

लौह युग के पुरातात्विक अवशेष प्रागैतिहासिक दफनों के रूप में हैं जो विशाल, खुरदुरे या गढ़े हुए पत्थरों और अंत्येष्टि वस्तुओं से निर्मित हैं। भारत में विशेष रूप से केरल में पहले महापाषाणकालीन अवशेष बैबिंगटन ने 1823 में मालाबार के बंगला मोट्टापरम्बु से खोजे थे। महापाषाण काल में मृतकों के दफन गड्ढे अक्सर मानव कंकालों, लोहे के औजारों, पत्थर की वस्तुओं, मिट्टी के बर्तनों आदि से जुड़े होते हैं। इन संस्मारकों का विस्तृत वितरण है जो दक्षिण भारत[1] में 1000 ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक के समय के पैमाने पर आते हैं।

कट्टकम्पल की महापाषाणकालीन दफन गुफा लौह युग, लगभग पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व से संबंधित एक प्रमुख पुरातात्विक अवशेष है।

3.4 संरक्षित क्षेत्र का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

कट्टकम्पल की दफन गुफा मेगालिथिक काल की एक बहु-कक्षीय गुफा है जिसमें चार पूर्व-कक्ष हैं जिनमें से दो पार्श्व की ओर मुख किए हुए हैं, जबकि शेष दो कक्ष बाहरी प्रांगण में एक दूसरे के विपरीत उत्तर और दक्षिण की ओर मुख किए हुए स्थित हैं। उत्तरी ओर के कक्ष पूर्व-पश्चिम मध्य में स्थित कक्षों की प्रतिकृति हैं, इस प्रकार संपूर्ण संयुक्त गुफा को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। यह बहु-कक्षीय गुफा की विशेषता है कि एक ही बाहरी प्रांगण सामने और किनारों पर विभिन्न गुफाओं की ओर जाता है। बाहरी प्रांगण तक लैटेराइट चट्टान की सतह पर काटी गई सीढ़ियों द्वारा पहुँचा जा सकता है।

कक्ष लगभग तुलनीय आकार के हैं, उत्तर-मुखी और दक्षिण-मुखी पूर्व-कक्षों का माप 1.35 मीटर x 1 मीटर और 1.72 मीटर x 1.1 मीटर हैं इनके प्रवेश द्वार 0.50 मीटर चौड़े और 0.55 मीटर ऊँचे हैं। प्रत्येक कक्ष की लंबाई के साथ, उत्तरी कक्ष में प्रवेश द्वार के किनारे और दक्षिणी कक्षों के बाईं ओर औसतन 0.23 मीटर ऊँची और 0.65 मीटर चौड़ी एक बेंच है। कक्षों की ऊँचाई 1 मीटर है। फर्श आयताकार और छतें क्षैतिज हैं।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संरक्षित क्षेत्र की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित क्षेत्र का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) एकमात्र अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-IV** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

इस स्थल पर प्रतिदिन 10 से 20 लोग आते हैं, जो सप्ताहांत में बढ़कर 20 से 25 हो जाता है।

[1] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, त्रिशूर सर्कल

अध्याय 4

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

i. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा चौवन्नूर ब्लॉक पंचायत या कट्टकम्पल ग्राम पंचायत, जिसमें कट्टकम्पल गाँव स्थित है, के लिए अभी तक कोई विकास योजना / भूमि-उपयोग योजना / मास्टर प्लान / ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किए गए हैं। इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट ज़ोनिंग विनियम भी उपलब्ध नहीं हैं।

ii. केरल राज्य भूमि उपयोग बोर्ड की वेब जीआईएस-आधारित भूमि संसाधन सूचना प्रणाली के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को "कृषि फ़सलें" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है; हालाँकि, यह वर्गीकरण अभी तक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

केरल सरकार द्वारा प्रकाशित और अद्यतन **"केरल पंचायत भवन नियम (केपीबीआर) 2019"** में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम लागू हैं।

अध्याय 5

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1) / सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संरक्षित क्षेत्र की सर्वेक्षण योजना:

केरल के त्रिशूर जिले के कट्टकम्पल की दफन गुफा की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** पर देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

i. प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 35,454 वर्ग मीटर है।

ii. विनियमित क्षेत्र लगभग 2,59,404 वर्ग मीटर है।

मुख्य विशेषताएँ:

कट्टकम्पल स्थित गुफा के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में एक स्थानीय बाज़ार, सघन आवासीय क्षेत्र, रूढ़िवादी कुरिशु पल्ली जैसे धार्मिक संस्थान और संगमम विवाह सभागार जैसी सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक इमारतें शामिल हैं। संरक्षित क्षेत्र के आसपास एक नगरपालिका जलाशय और वृक्षारोपण के लिए हरे-भरे खुले स्थान भी स्थित हैं। संरक्षित क्षेत्र के विनियमित क्षेत्र में आवासीय, धार्मिक और संस्थागत इमारतों के साथ-साथ रबर, धान और नारियल के बागानों के लिए खुले क्षेत्र शामिल हैं।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

i. **उत्तर और पश्चिम:**

निर्मित क्षेत्र में मुख्यतः घनी आवासीय बस्तियाँ और व्यावसायिक इमारतें हैं।

ii. **दक्षिण और पूर्व:**

निर्मित क्षेत्र में मुख्यतः आवासीय संरचनाएँ हैं।

विनियमित क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

निर्मित क्षेत्र में मुख्यतः आवासीय और व्यावसायिक संरचनाएँ हैं जो पहुँच मार्गों के पास स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, धार्मिक संरचना, कट्टकम्पल भगवती मंदिर, एक प्रमुख स्थलचिह्न के रूप में कार्य करता है।

ii **पूर्व:**

निर्मित क्षेत्र में पोर्कुलम-कट्टकम्पल रोड के पास आवासीय भवनों के साथ-साथ व्यावसायिक संरचनाएँ भी हैं। इसके अतिरिक्त, धार्मिक संरचना, चिराकल जुमा मस्जिद भी इसी दिशा में स्थित है।

iii. **दक्षिण:**

निर्मित क्षेत्र में आवासीय और संस्थागत दोनों संरचनाएँ शामिल हैं।

iv. **पश्चिम:**

निर्मित क्षेत्र में मुख्यतः आवासीय संरचनाएँ हैं।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

खुले और हरे-भरे स्थान मुख्यतः सभी दिशाओं में आवासीय भूखंडों के भीतर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी दिशा में कुछ जल निकाय मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

खुले और हरे-भरे स्थान मुख्यतः आवासीय भूखंडों के भीतर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, खुले क्षेत्र भी हैं जिनमें खेल के मैदान और कट्टकम्पल भगवती मंदिर जैसी धार्मिक संरचनाओं से जुड़े मैदान शामिल हैं, जहाँ वार्षिक उत्सव और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं।

ii. **पूर्व:**

खुले/हरे-भरे स्थान मुख्यतः आवासीय भूखंडों के भीतर हैं।

iii. **दक्षिण:**

खुले और हरे-भरे स्थान मुख्यतः आवासीय भूखंडों, रबर और नारियल के बागानों और धार्मिक परिसरों के भीतर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, दफ़नाने/शमशान के लिए खुले स्थान हैं।

iv. **पश्चिम:**

खुले और हरे-भरे स्थान मुख्यतः आवासीय भूखंडों के भीतर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, रबर और नारियल के बागानों के साथ-साथ धान के खेत भी इस ओर खुले हरे-भरे स्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों तक सड़कों के एक नेटवर्क के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, जिसमें कलेक्टर, मुख्य मार्ग और उप-मुख्य मार्ग शामिल हैं जो संरक्षित क्षेत्र और आसपास के आवासीय क्षेत्रों तक वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाते हैं। बाज़ार और आवासीय बस्तियाँ मुख्य रूप से तारकोल से बनी मुख्य मार्ग पोर्कुलम-कट्टकम्पल रोड (लगभग 8 मीटर चौड़ी) के साथ स्थित हैं, जिससे 3 मीटर चौड़ी तारकोल से बनी उप-मुख्य मार्ग और आंतरिक सड़कें निकलती हैं।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

संरचनाओं/भवनों की ऊँचाई जी से जी+2 तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई लगभग 12 मीटर है।

ii. **पूर्व:**

संरचनाओं/भवनों की ऊँचाई जी से जी+1 तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई लगभग 9 मीटर है।

iii. **दक्षिण:**

संरचनाओं/भवनों की ऊँचाई जी से जी+1 तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई लगभग 9 मीटर है।

iv. **पश्चिम:**

संरचनाओं/भवनों की ऊँचाई जी से जी+1 तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई लगभग 9 मीटर है।

विनियमित क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

संरचनाओं/भवनों की ऊँचाई जी से जी+1 तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई लगभग 9 मीटर है।

ii. **पूर्व:**

संरचनाओं/भवनों की ऊँचाई जी से जी+1 तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई लगभग 9 मीटर है।

iii. **दक्षिण:**

संरचनाओं/भवनों की ऊँचाई जी से जी+2 तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई लगभग 12 मीटर है।

iv. **पश्चिम:**

संरचनाओं/भवनों की ऊँचाई जी से जी+1 तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई लगभग 9 मीटर है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में कोई भी राज्य संरक्षित संस्मारक या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन मौजूद नहीं हैं।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं जैसे सार्वजनिक जल आपूर्ति, सौर लैंप पोस्ट, कूड़ेदान, बेंच आदि उपलब्ध हैं।

5.2.8 संरक्षित क्षेत्र तक पहुंच:

संरक्षित क्षेत्र - कट्टकम्पल की दफन गुफा तक पोर्कुलम-कट्टकम्पल सड़क जो लगभग 8 मीटर चौड़ी है, के माध्यम से सीधे पहुंचा जा सकता है, और आगे त्रिशूर-थ्रिक्कनपुरम राज्य राजमार्ग-69 से जुड़ी हुई है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढाँचा सेवाएँ उपलब्ध हैं। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के ट्रांसफार्मर विनियमित क्षेत्र के दक्षिणी और उत्तरी किनारों पर स्थित हैं। प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में बिजली के तार और खंभे तथा नगरपालिका जल आपूर्ति नल मौजूद हैं। सड़क के किनारे सतही जल निकासी की सुविधा के लिए ढकी हुई वर्षा जल नालियाँ मौजूद हैं।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग:

कट्टकम्पल ग्राम पंचायत के लिए स्थानीय निकायों के कोई प्रस्तावित ज़ोनिंग दिशानिर्देश नहीं हैं।

अध्याय 6

संरक्षित क्षेत्र की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

वास्तुकला महत्व:

केरल के त्रिशूर जिले में स्थित कट्टकम्पल की दफन गुफा, बहु-कक्षीय महापाषाण शैलकृत वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस गुफा में चार पूर्व-कक्ष हैं जो एक बाहरी प्रांगण के चारों ओर सममित रूप से व्यवस्थित हैं जिनमें कक्ष पार्श्व में स्थित हैं और उत्तर व दक्षिण की ओर भी हैं। नक्काशीदार बेंच, आयताकार फर्श और क्षैतिज छत जैसी विशेषताओं के साथ यह संतुलित और सुविचारित रूपरेखा, उच्च स्तर की योजना और तकनीकी कौशल को दर्शाता है। यह स्थल त्रिशूर की प्रागैतिहासिक अंत्येष्टि वास्तुकला की विशिष्ट लैटेराइट तलहटी में सीधे नक्काशी करने की स्थापत्य परंपरा के अनुरूप है।

ऐतिहासिक महत्व:

कट्टकम्पल की दफन गुफा केरल के लौह युगीन समुदायों के अनुष्ठानिक और सामाजिक जीवन को दर्शाती है और इस क्षेत्र में फली-फूली व्यापक महापाषाण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। सममित विन्यास और एकसमान स्थापत्य विशेषताएँ एक साझा सांस्कृतिक और अनुष्ठान संहिता का संकेत देती हैं जो संभवतः प्रतीकात्मक अभिविन्यासों या सामाजिक भूमिकाओं की अभिव्यक्ति की ओर इशारा करती हैं। त्रिशूर क्षेत्र में दफन गुफाओं के एक बड़े नेटवर्क के हिस्से के रूप में कट्टकम्पल, प्रारंभिक अंत्येष्टि प्रथाओं, सामुदायिक संरचनाओं और पूर्व-आधुनिक केरल की विकसित होती विश्वास प्रणालियों को समझने के लिए मूल्यवान संदर्भ प्रदान करता है।

पुरातात्विक महत्व:

संरक्षित क्षेत्र का पुरातात्विक मूल्य इसके सुसंरक्षित स्वरूप और विशिष्ट बहु-कक्षीय डिज़ाइन में निहित है। यह मध्य केरल में लौह युग की दफन प्रथाओं, स्थानिक संगठन और अंत्येष्टि वास्तुकला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। संरक्षित क्षेत्र की खुदाई के दौरान मिले अनुष्ठानिक लौह उपकरणों और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष कुशल कारीगरों की उपस्थिति और एक समृद्ध अंत्येष्टि परंपरा का संकेत देते हैं। एय्याल और पोर्ककलम जैसे आस-पास के स्थलों के साथ अध्ययन करने पर कट्टकम्पल गुफा व्यापक दक्षिण भारतीय महापाषाण परंपरा में क्षेत्रीय पैटर्न, निर्माण परंपराओं और अनुष्ठान व्यवहार की पहचान करने में योगदान देती है।

6.2 संरक्षित क्षेत्र की संवेदनशीलता (विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में विकास का दबाव काफी है। तेज़ी से हो रहे शहरी विकास के कारण कट्टकम्पल का व्यावसायिक बाज़ार धीरे-धीरे आस-पास की आवासीय बस्तियों में अतिक्रमण कर रहा है। पिछले दो दशकों में स्थानीय दुकानों के स्वरूप में लकड़ी के खंभों वाले बरामदों, ढलानदार मंगलौर टाइल की छतों और लकड़ी की रेलिंग वाली पारंपरिक दो-मंजिला स्थानीय संरचनाओं से लेकर सीमेंट, कंक्रीट, टिन की चादरों, शीशे और एल्युमीनियम मिश्रित पैनलों से बने आधुनिक निर्माणों तक व्यापक परिवर्तन आया है, इसी तरह आवासीय इमारतें भी स्थानीय दो मंजिला छोटे गाँवों की शैली के घरों से सपाट कंक्रीट की छतों वाले आधुनिक ढाँचों

की ओर तेज़ी से बढ़ रही हैं। विनियमित क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में बढ़ते शहरी दबाव के कारण पहले खुले बागानों वाली ज़मीनें तेज़ी से आवासीय क्षेत्रों में बदल रही हैं।

6.3 संरक्षित क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित क्षेत्र से दृश्यता की विशेषता आस-पास के घरों और दुकानों के बीच पेड़ों की उपस्थिति है।

विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित क्षेत्र के स्थान और परिवेश तथा ज़मीन से नीचे इसकी भूमिगत प्रकृति के कारण यह विनियमित क्षेत्र से दिखाई नहीं देता है।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई मास्टर प्लान, विकास योजना या भूमि-उपयोग योजना तैयार नहीं की गई है, और निर्दिष्ट भूमि-उपयोग योजना उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, केरल राज्य भूमि उपयोग बोर्ड की वेब जीआईएस-आधारित भूमि संसाधन सूचना प्रणाली के अनुसार संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को **"कृषि फ़सलों"** के रूप में नामित किया गया है; हालाँकि, यह वर्गीकरण अभी तक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में आवासीय भूमि उपयोग प्रमुख है। पोर्कुलम-कट्टकम्पल रोड के किनारे पूर्व दिशा में व्यावसायिक इमारतें मौजूद हैं। कई संस्थागत, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक और धार्मिक संरचनाएँ जिनमें मंदिर भी शामिल हैं, विनियमित और प्रतिषिद्ध क्षेत्रों में मौजूद हैं।

6.5 संरक्षित क्षेत्र के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

संरक्षित क्षेत्र के अलावा प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में आज तक कोई ज्ञात या रिपोर्ट की गई पुरातात्विक विरासत के अवशेष नहीं हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

संरक्षित क्षेत्र कट्टकम्पल के विशाल लैटेराइट चट्टानी भूभाग में एकीकृत है और उसका एक हिस्सा है, जिसका रंग लाल-काला है। यह संरक्षित क्षेत्र पवित्र उपवनों, जलाशयों, धान के खेतों और खुले मैदानों सहित एक विशाल सांस्कृतिक भूभाग का भी हिस्सा है जो इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हैं।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संस्मारकों / क्षेत्रों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

विनियमित क्षेत्र के पश्चिमी भाग में दो महत्वपूर्ण मंदिर तालाब स्थित हैं जो भूजल पुनर्भरण में मदद करते हैं और बहते पानी के लिए जलग्रहण क्षेत्र का काम करते हैं। ये गाँव के लिए जल स्रोत का भी काम करते हैं। मंदिरों से जुड़े देशी पेड़ और खुले मैदान भी प्राकृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में प्रमुख हरे खुले स्थानों का उपयोग रबर, नारियल या केला और धान की खेती जैसी बागान फसलों के लिए किया जाता है। रबर के बागान विनियमित क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक प्रमुख हरे खुले स्थान का निर्माण करते हैं। नारियल के बागान और धान के खेत भी विनियमित क्षेत्र के पश्चिमी भाग में हरे खुले स्थानों का निर्माण करते हैं। भूरे खुले स्थान धार्मिक संरचनाओं से जुड़े हैं जैसे उत्तर की ओर कट्टकम्पल भगवती मंदिर और दक्षिण की ओर चिराकल जुमा मस्जिद से जुड़ा एक कब्रिस्तान। खाली जमीन भी खुली जगह का हिस्सा है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के पश्चिमी भाग की ओर पानी की दो टंकियां प्रमुख नीले खुले स्थानों का निर्माण करती हैं। वे मानसून के दौरान बहकर आने वाले पानी को एकत्रित करने में सक्षम बनाते हैं तथा भूजल पुनर्भरण में मदद करते हैं।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र का उपयोग मुख्यतः कब्रिस्तान के रूप में किया जाता था, जहाँ अनुष्ठानिक लोहे के औज़ारों और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा इसके आसपास के मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों को छोड़कर, विनियमित या प्रतिषिद्ध क्षेत्र से जुड़ी कोई भी पारंपरिक या सांस्कृतिक गतिविधियाँ नहीं होती हैं।

6.10 संरक्षित क्षेत्र और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संरक्षित क्षेत्र से देखा गया क्षितिज अलग-अलग दिशाओं में भिन्न-भिन्न होता है। उत्तर की ओर, यह आस-पास की व्यावसायिक इमारतों, बिजली के खंभों और वनस्पतियों की सपाट और ढलान वाली छतों से चिह्नित है, जिसमें पूर्व की ओर एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत उभर कर सामने आती है। पूर्व में भी ऐसा ही स्वरूप दिखाई देता है, जहाँ व्यावसायिक इमारतें, बिजली के खंभे और वनस्पतियाँ प्रमुख हैं। दक्षिण और पश्चिम में क्षितिज मुख्य रूप से ढलान वाली छतों वाले आसपास घरों से आकार लेता है। विनियमित क्षेत्र के भीतर, उत्तरी क्षितिज में मुख्य रूप से ढलान वाली छतों वाले दो मंजिला घर और नारियल और रबर जैसे ऊँचे देशी पेड़ हैं। क्षितिज के पूर्वी हिस्से में व्यावसायिक इमारतें, बिजली के खंभे और वनस्पतियाँ हैं। पश्चिम की ओर क्षितिज में ढलान वाली छतों और देशी पेड़ों वाले दो मंजिला घर हैं जबकि दक्षिण में सपाट या ढलानदार छतों वाली आवासीय और संस्थागत इमारतें हैं, साथ ही ऊँचे नारियल और रबर के पेड़ भी हैं।

संरक्षित क्षेत्र की भूमिगत प्रकृति, यानी ज़मीनी स्तर से नीचे होने के कारण यह विनियमित क्षेत्र से दिखाई देने वाले क्षितिज का हिस्सा नहीं बनता है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में स्थानीय घरों में पारंपरिक रूप से सीधी रेखाएँ होती हैं, जिनकी ढलानदार टाइलों वाली छतें लकड़ी के शहतीरों और बल्लियों पर टिकी होती हैं और जिन पर मैंगलोर टाइलें लगी होती हैं। इन संरचनाओं में आमतौर पर बरामदे और कमरे होते हैं जो एक केंद्रीय स्थान के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं और अक्सर कुएँ, शेड और शौचालय भी होते हैं। हालाँकि, इस स्थापत्य शैली की जगह अब कंक्रीट की सपाट छतों वाले आधुनिक निर्माणों ने ले ली है जिससे बस्तियों का पारंपरिक स्वरूप बदल रहा है।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना:

कट्टकम्पल के लिए कोई प्रस्तावित या मौजूदा विकास योजना या ज़ोनिंग विनियम उपलब्ध नहीं हैं।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संसंस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

सामान्य शब्दों में, एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

1. **स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस, संरचना आदि या छत पर कोई अन्य सेवाएं सहित):**

   i. नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊँचाई सीमा **10.5 मीटर** से अधिक नहीं होनी चाहिए (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचनाएँ, टैरेस गार्डन आदि या छत पर कोई अन्य सेवाएँ शामिल हैं)।

   ii. जहाँ तक संभव हो बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. **उपयोग:**

   i. किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र के भीतर भूमि का परिवर्तन राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के साथ पूर्व परामर्श के बाद किया जाना चाहिए।

   ii. केरल राज्य भूमि उपयोग बोर्ड की वेब जीआईएस-आधारित भूमि संसाधन सूचना प्रणाली के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को **"कृषि फसलों"** के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। मौजूदा हरित आवरण को संरक्षित करने और संरक्षित क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए कृषि भूमि-उपयोग को बरकरार रखा जाना चाहिए। कृषि भूमि-उपयोग के भीतर अनुमत छूट प्राप्त निर्माणों पर विचार किया जा सकता है।

   iii. जहाँ तक संभव हो, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर वाणिज्यिक विकास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

   iv. मौजूदा जल निकायों, खुले और हरित स्थानों को मौजूदा के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए।

v. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

vi. पर्यावरण के संरक्षण और भारी बारिश के दौरान मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में मौजूदा वनस्पति और मिश्रित फसल बागानों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

3. अग्रभाग डिजाइन:

i. नए निर्माण का अग्रभाग डिज़ाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए, ताकि यह आसपास के क्षेत्र की समग्र ऐतिहासिक विशेषता पर हावी न हो।

ii. अग्रभाग का डिज़ाइन सूक्ष्म, प्लास्टर किया हुआ और मिट्टी के रंगों में रंगा हुआ होना चाहिए।

iii. पारंपरिक निर्माण सामग्री के साथ स्थानीय वास्तुकला के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

iv. विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थित सभी भवनों के लिए दुकानों और आवासों के अनौपचारिक विस्तार को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

v. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी सजावट के लिए एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी अन्तर्वेधी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

vi. रंगीन ग्लेज्ड अग्रभाग के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

vii. प्लंबिंग और विद्युत सेवाएँ भवन के बाहरी भाग में छिपी होनी चाहिए और दिखाई नहीं देनी चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

i. टेराकोटा रूफ टाइल्स/मैंगलोर रूफ टाइल्स वाली पारंपरिक ढलान वाली छत प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ii. भवन की छत पर एल्युमीनियम, फाइबरग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की भी संरचनाओं के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. छत पर रखी गई बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयों, रूफटॉप वाटर स्टोरेज टैंक या बड़े जनरेटर सेट जैसी सभी सेवाओं को स्क्रीन वॉल (ईंट/सीमेंट शीट, लूवर, जालियां या ऐसे अन्य डिज़ाइन तत्व) का उपयोग करके बंद किया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

i. संरक्षित क्षेत्र की सभी सड़कों के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए।

ii. बाहरी सजावट के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमीनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और अन्य सिंथेटिक टाइलें या सामग्री के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. लेटराइट पत्थर, मिट्टी/गारे की ईंटें, मैंगलोर टाइलें और लकड़ी जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निर्माण के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि क्षेत्र की पारंपरिक स्थापत्य शब्दावली का पालन किया जाए।

6. रंग:

बाहरी रंग तटस्थ स्वर का होना चाहिए, जो संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के वातावरण के साथ कोई विपरीत प्रभाव न डाले।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो रेल सिस्टम (भूमिगत या एलिवेटेड), रेल या सड़क ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाएं या इसी तरह की विकास परियोजनाओं और सार्वजनिक हित में संस्थागत भवनों के निर्माण या जो जनता के लिए आवश्यक हैं, जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव एक विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन (एचआईए) रिपोर्ट के अधीन होंगे। ऐसी परियोजनाओं पर तभी विचार किया जा सकता है जब यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो कि वे संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र उसके आस-पास के क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा, रक्षा, दृश्य अखंडता या पहुंच पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और साधन:

जहां तक संभव हो, आगंतुकों की सुख-सुविधाओं और साधनों पर विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय 7

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

i. चूँकि संरक्षित क्षेत्र प्रमुख मुख्य मार्ग पोर्कुलम-कट्टकमपाल रोड के निकट स्थित है, इसलिए सड़क चौड़ीकरण के किसी भी प्रस्ताव को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे संरक्षित क्षेत्र की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ii. संरक्षित क्षेत्र के विनियमित क्षेत्र में समूह आवास के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. मौजूदा निर्मित-से-खुले स्थान अनुपात और हरित आवरण को बनाए रखा जाना चाहिए।

iv. संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में मौजूदा वनस्पति और मिश्रित फसल बागानों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

v. संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर मौजूदा सार्वजनिक खुले स्थान, जिनमें धार्मिक संरचनाओं और सरकारी भवनों से जुड़े स्थान भी शामिल हैं, को संरक्षित और अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

vi. संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर जल निकायों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

vii. संरक्षित क्षेत्र की संरचनात्मक स्थिरता पर भू-कंपन के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

viii. स्थानीय प्रशासन को संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

ix. विनियमित क्षेत्र के भीतर टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टावर, बिजली ट्रांसमिशन टावर, चिमनियाँ और ओवरहेड पानी की टंकियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें विनियमित क्षेत्र से बाहर स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।

x. संरक्षित क्षेत्र या उसके आसपास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग साइनेज के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

xi. संरक्षित क्षेत्र के पास, विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं पर, होर्डिंग, बिल बोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

xii. वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण दफन गुफाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्र के आसपास आवागमन के लिए पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

xiii. वर्षा जल संचयन आदि जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. संरक्षित क्षेत्र के आसपास हरियाली बनाए रखी जानी चाहिए।

ii. किसी भी कारण से खुदाई की प्रक्रिया के दौरान, जिसमें नींव खोदना, पाइप, केबल आदि बिछाना शामिल है, किसी भी कलाकृति या पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होने की स्थिति में इसकी सूचना तुरंत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दी जानी चाहिए।

iii. संरक्षित क्षेत्र के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

iv. जब भी मास्टर प्लान, क्षेत्रीय योजना या विकास योजना तैयार किया जाए या उसमे संशोधित किया जाए, तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और संरक्षित क्षेत्र और उनके प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

v. जहाँ तक संभव हो, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार प्रावधान किए जाने चाहिए।

vi. क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

vii. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Area **"Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala"** prepared by the Competent Authority, in consultation with the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH), New Delhi were published on 12.02.2025, as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala"

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1.1 Short title, Extent and Commencements:

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage Bye-Laws, 2025 of the Protected Area **"Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala"**.

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself andother joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER 2

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. Ibid Rule provides parametres for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-Laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992 or which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case maybe.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case maybe, make an application to the Competent Authority for carrying out constructionor re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER 3

Location and Setting of Protected Area – Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala

3.1 Location and Setting of the Protected Area:

The Burial Cave of Kattakampal is located in Kattakampal village, under the Kattakampal Gram Panchayat in Kunnamkulam Taluk, within the Chowannur Block Panchayat, District Thrissur, Kerala.

The nearest airport is Cochin International Airport, located in Nedumbassery, approximately 79 kilometres to the South. The nearest railway station is Thrissur Railway Station, located about 30 kilometres South of the Protected Area. The nearest town and bus station is Kunnamkulam, located approximately 8 kilometres South of the Protected Area and accessed via the Porkulam-Kattakampal road. The Burial Cave of Kattakampal is located in the heart of the commercial market of Kattakampal village.

The Thrissur district, located in the central region of Kerala, is rich in history and cultural tradition. The region is noted particularly for its megalithic monuments. The megalithic types found in the district are *dolmens, cists, menhirs, kudakallus* or *umbrella stone, topikallus* or *hatstones, rock-cut caves*. The rock-cut caves of Thrissur are found at Chowannur, Kandanasseri, Porkalam, Eyyal and Kattakampal in the Kunnamkulam Taluk.

The Burial Cave of Kattakampal is present along the bustling Porkulam–Kattakampal Road, flanked by commercial buildings. Beyond this busy frontage, the Protected Area is nestled in a low-density residential area, dotted with lush native vegetation. The vicinity is enriched by cultural landmarks, including the Chirakal Juma Masjid, Orthodox Kurishu Pally, and Kattakampal Bhagwati Temple, showcasing the area's diverse character. Nearby green spaces used for plantations and a municipal water body further enhance the ecological and spatial charm of the site.

The geographical coordinates of the Protected Area are as follows:

Latitude: 10°41'13.50" N; **Longitude:** 76°02'21.0" E.

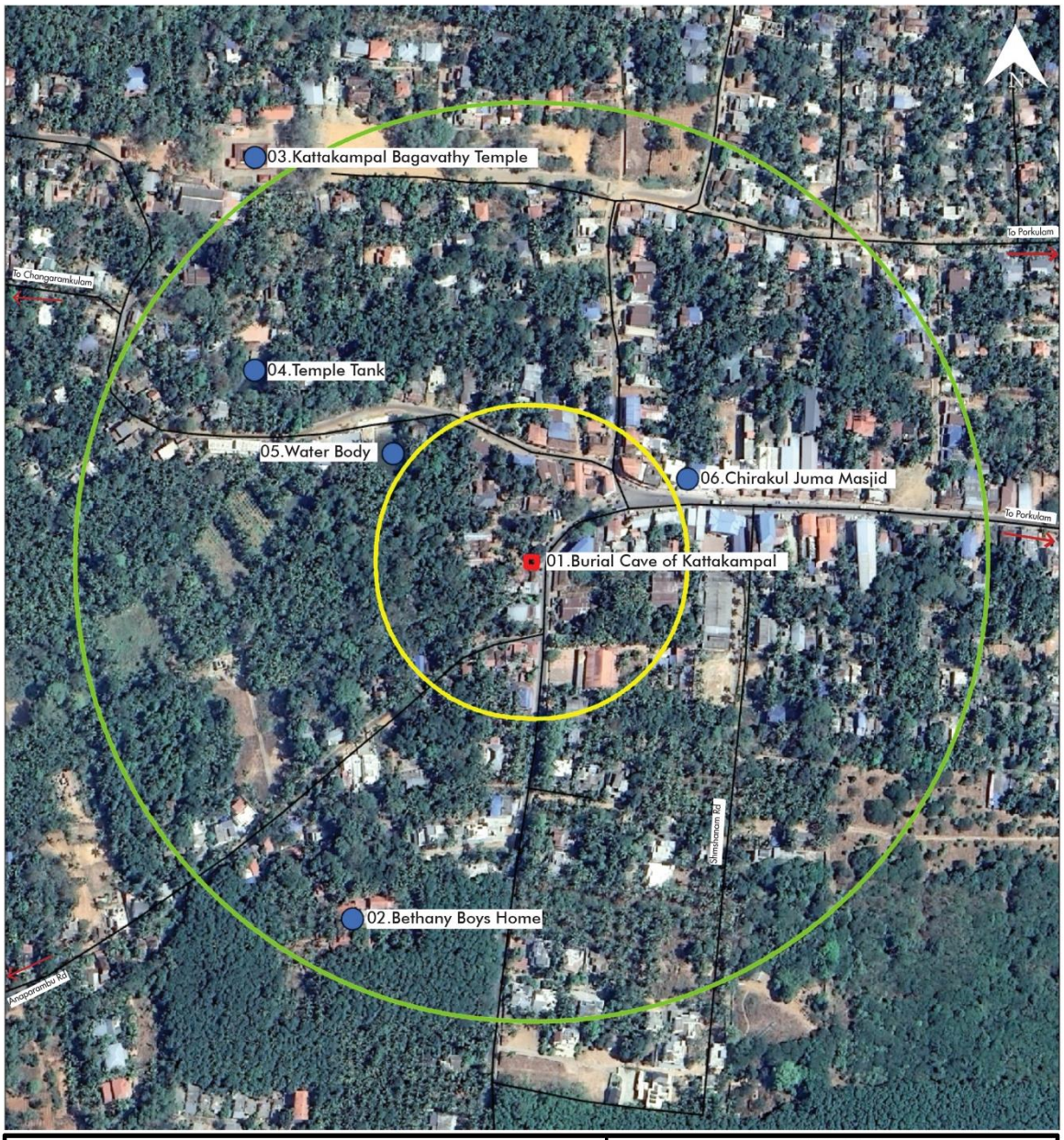

Burial Caves of Kattakampal, District Thrissur, Kerala	INDEX	
	Indicative Protected Boundary	
	Indicative Prohibited Boundary	
	Indicative Regulated Boundary	

Figure 1: Satellite imagery showing the location and setting of Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala

3.2 Protected Boundary of the Protected Area:

The Protected Boundary of the Protected Area Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map / Plan as per ASI records:

The Gazette Notification of Protected Area – Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Protected Area:

Megalithic burial caves are predominantly archaeological remains of the Iron Age that represent one of the phases of material culture in Kerala.

The archaeological remains of the Iron Age are in the form of pre-historic burials, built of huge, rough or dressed stone and funerary objects. The first megalithic remains in India, especially in Kerala, were discovered by Babington in 1823 from Bangla Mottaparambu in Malabar. The burial pits of the dead in the megalithic period are often associated with human skeletal remains, iron implements, stone objects, pottery, etc. These monuments have a wide distribution, falling into the time scale of 1000 BCE to the 3rd century CE in South India[1].

The Megalithic Burial Cave of Kattakampal is a predominant archaeological remain attributed to the Iron Age, roughly to the first millennium BCE.

3.4 Description of the Protected Area (Architectural features, Elements, Materials, etc.):

The Burial cave of Kattakampal is a multi-chambered cave of the Megalithic period comprising four-ante-chambers, two of them situated laterally facing, while the remaining two chambers are situated opposite each other across the outer court, facing North and South. Chambers on the Northern side are replicas of the chambers on the East-West median, thus bisecting the entire composite cave into two halves. It is a characteristic of the multi-chambered cave that the same outer court leads to different caves in front and on the sides. The outer court is accessed by steps cut into the laterite rock surface.

The chambers are roughly of comparable sizes, the dimensions of the North-facing and South-facing ante-chambers are 1.35 metres x 1 metres and 1.72 metres x 1.1 metres, whereas East-facing ante-chambers are 1.23 metres x 1.48 metres x 1.20 metres. Their entrances measure 0.50 metres in width and 0.55 metres in height. Along the length of each chamber, on the side of the entrance in the Northern and on the left side of the Southern chambers, there is a bench measuring 0.23 metres in height and 0.65 metres on average in width. The height of the chambers is 1 metre. The floors are rectangular and the ceilings horizontal.

[1] Archaeological Survey of India, Thrissur Circle

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of the Protected Area - condition assesment:

The maintenance and preservation of the Protected Area is the exclusive domain of the Archaeological Survey of India (ASI). The photographs depicting the present condition of the Protected Area are appended in **Annexure–IV**.

3.5.2 Daily footfall and occasional gathering numbers:

The site receives a daily footfall of 10 to 20 people per day, which increases to 20 to 25 people on weekends.

CHAPTER 4

Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans

4.1 Existing Zoning:

i. No Development plan / Land-use plan / Master plan / Zoning regulations have been prepared as yet by the Local Authorities for Chowannur Block Panchayat or Kattakampal Grama Panchayat, in which the Kattakampal village is located. Specific zoning regulations for this area are also not available.

ii. As per the Web GIS-based Land Resource Information System of the Kerala State Land Use Board, the Protected Area and its surrounding area are designated as **"agricultural crops"**; however, this classification is not yet notified in the official Gazette.

4.2 Existing Guidelines of the Local Bodies:

All the development control norms and building regulations specified in **"Kerala Panchayat Building Rules (KPBR) 2019"** published and updated by the Government of Kerala, are applicable.

CHAPTER 5

Information as per First Schedule, Rule 21 (1) / Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey Plan of Protected Area:

The Survey Plan of Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Prohibited Area is approximately 35,454 square metres.

ii. Regulated Area is approximately 2,59,404 square metres.

Salient Features:

The Prohibited Area of the Burial Cave at Kattakampal comprises a local market, dense residential areas, religious institutions like Orthodox Kurishu Pally, and public/semi-public buildings like Sangamam wedding auditorium. A municipal water body and green open spaces for plantations are also located in the vicinity of the Protected Area. The Regulated Area of the Protected Area comprises residential, religious and institutional buildings along with open areas for rubber, paddy and coconut plantations.

5.2.2 Description of built-up area:

Prohibited Area:

i. **North and West:**

The built-up area is primarily dense residential settlement and commercial buildings.

ii. **South and East:**

The built-up area has primarily residential structures.

Regulated Area:

i. **North:**

The built-up area has primarily residential and commercial structures located adjacent to the access roads. Additionally, the religious structure, Kattakampal Bhagavathi Temple, serves as a major landmark.

ii. **East:**

The built-up area has residential buildings along with commercial structures located adjacent to the Porkulam–Kattakampal Road. Additionally, the religious structure, Chirakal Juma Masjid, is also present in this direction.

iii. **South:**

The built-up area comprises both residential and institutional structures.

iv. **West:**

The built-up area has primarily residential structures.

5.2.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area:

The open and green spaces are primarily located within residential plots across all cardinal directions. Additionally, a few water bodies are present on the Western side.

Regulated Area:

i. **North:**

The open and green spaces are primarily located within residential plots. Additionally, there are open areas, including playgrounds and grounds associated with religious structures such as the Kattakampal Bhagavathi Temple, where annual festivals and rituals are held.

ii. **East:**

The open/green spaces are primarily within the residential plots.

iii. **South:**

The open and green spaces are primarily located within residential plots, rubber and coconut plantations, and religious grounds. Additionally, there are open spaces for burials/cremation.

iv. **West:**

The open and green spaces are primarily located within residential plots. Additionally, paddy fields, along with rubber and coconut plantations, constitute a significant portion of the open green space on this side.

5.2.4 Area covered under circulation - roads, footpaths etc.:

The Prohibited and Regulated Areas are accessed through a network of streets, including collector, arterial, and sub-arterial roads that facilitate vehicular movement to the Protected Area and adjoining residential areas. The market and residential settlements are primarily aligned along the tarred arterial Porkulam–Kattakampal Road (approximately 8 metres wide), with 3-metre-wide tarred sub-arterial and internal roads branching from it.

5.2.5 Existing Heights of Buildings:

Prohibited Area:

i. **North:**

The height of the structures/buildings ranges from G to G+2, with a maximum height of 12 metres approximately.

ii. **East:**

The height of the structures/buildings ranges from G to G+1, with a maximum height of 9 metres approximately.

iii. **South:**

The height of the structures/buildings ranges from G to G+1 with a maximum height of 9 metres approximately.

iv. **West:**

The height of the structures/buildings ranges from G to G+1, with a maximum height of 9 metres approximately.

Regulated Area:

i. **North:**

The height of the structures/buildings ranges from G to G+1 with a maximum height of 9 metres approximately.

ii. **East:**

The height of the structures/buildings ranges from G to G+1 with a maximum height of 9 metres approximately.

iii. **South:**

The height of the structures/buildings ranges from G to G+2, with a maximum height of 12 metres approximately.

iv. **West:**

The height of the structures/buildings ranges from G to G+1, with a maximum height of 9 metres approximately.

5.2.6 State Protected Monument and listed Heritage Buildings by Local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There are no State Protected Monuments or other listed Heritage Buildings by Local Authorities reported as yet within the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Area.

5.2.7 Public amenities:

The Prohibited and Regulated Areas have essential public amenities such as public water supply, solar lamp posts, dustbins, benches etc.

5.2.8 Access to the Protected Area:

The Protected Area - Burial Cave of Kattakampal is directly accessible via the Porkulam- Kattakampal road, which is approximately 8 metres wide and further links to the Thrisuur-Thrikkanapuram State Highway-69.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

The Prohibited and Regulated Areas have essential infrastructure services. Kerala State Electricity Board (KSEB) transformers are located on the Southern and Northern sides of the Regulated Area. Electrical wires and poles, and municipal water supply taps are present within both the Prohibited and Regulated Areas. Along the Road, covered stormwater drains exist to facilitate surface water discharge.

5.2.10 Proposed Zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

There are no proposed zoning guidelines of the Local Bodies for Kattakampal Gram Panchayat.

CHAPTER 6

Architectural, Historical and Archaeological Value of the Protected Area

6.1 Architectural, Historical and Archaeological Value:

Architectural Value:

The Burial Cave at Kattakampal, located in the Thrissur district of Kerala, is a significant example of multi-chambered megalithic rock-cut architecture. The cave features four ante-chambers arranged symmetrically around an outer court, with chambers positioned laterally as well as facing North and South. This balanced and deliberate layout, combined with features such as carved benches, rectangular floors, and horizontal ceilings, reflects a high degree of planning and technical skill. The site aligns with the architectural tradition of carving directly into laterite beds, typical of Thrissur's prehistoric funerary architecture.

Historical Value:

The Burial Cave of Kattakampal reflects the ritual and social life of Iron Age communities in Kerala and is representative of the broader megalithic culture that flourished in the region. The symmetrical configuration and uniform architectural features suggest a shared cultural and ritual code, possibly pointing to symbolic orientations or the expression of social roles. As part of a larger network of burial caves in the Thrissur region, Kattakampal provides valuable context for understanding early funerary practices, community structures, and the evolving belief systems of pre-modern Kerala.

Archaeological Value:

The archaeological value of the Protected Area lies in its well-preserved form and distinctive multi-chambered design. It offers important insights into the burial practices, spatial organisation, and funerary architecture of the Iron Age in central Kerala. Remains of ritualistic iron implements and pottery found during the excavation of the Protected Area suggest the presence of skilled artisans and a thriving funerary tradition. When studied alongside nearby sites like Eyyal and Porkkalam, the Kattakampal cave contributes to identifying regional patterns, construction traditions, and ritual behaviours in the broader South Indian megalithic tradition.

6.2 Sensitivity of the Protected Area (e.g. Developmental pressure, Urbanization, Population Pressure etc.):

There is significant developmental pressure in both the Prohibited and Regulated Areas. The commercial market of Kattakampal is gradually encroaching into the adjoining residential settlements, due to rapid urban development. Over the past two decades, the character of local shops has undergone a vast transformation, from traditional double-storey vernacular structures featuring timber-pillared verandahs, sloping Mangalore tile roofs, and timber railings, to contemporary constructions using cement, concrete, tin sheets, glass and aluminium composite panels.

Similarly, residential buildings are increasingly shifting from vernacular double-storey hamlet-style houses to modern structures with flat concrete roofs. On the Western side of the Regulated Area, formerly open plantation lands are rapidly being converted into residential zones under mounting urban pressure.

6.3 Visibility from the Protected Area and visibility from the Regulated Area:

Visibility from the Protected Area:

The visibility from the Protected Area is characterised by nearby residences and shops interspersed with trees.

Visibility from the Regulated Area:

Due to the location and setting of the Protected Area and its subterranean nature below ground level, it is not visible from the Regulated Area.

6.4 Land-use to be identified:

No Master Plan, Development Plan or Land-Use Plan has been prepared by the Local Authorities as yet, and the designated Land-Use Plan is not available. However, as per the Web GIS-based Land Resource Information System of the Kerala State Land Use Board, the Protected Area and its surrounding area are designated as **"agricultural crops"** ; however, this classification is not yet notified in the official Gazette.

Based on the primary survey, residential land use is predominant in both the Prohibited and Regulated Areas. Commercial buildings are present along the Porkulam–Kattakampal Road toward the Eastern direction. Many institutional, public/semi-public, and religious structures, including temples, are also present in the Regulated and Prohibited Areas.

6.5 Archaeological heritage remains other than Protected Area:

There are no known or reported archaeological heritage remains in the Prohibited and Regulated Area to date other than the Protected Area.

6.6 Cultural Landscapes:

The Protected Area is seamlessly integrated into and forms part of the larger laterite rocky terrain of Kattakampal, which is reddish black in colour. The Protected Area also forms part of a larger cultural landscape including sacred groves, water bodies, paddy fields and open grounds, which are associated with the religious and cultural heritage of the area.

6.7 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also helps in protecting Monuments / Areas from environmental pollution:

There are two significant temple tanks located in the Western part of the Regulated Area, which help in groundwater recharging and act as a catchment for the runoff water. They also act as a water source for the village. Indigenous trees and open grounds associated with temples also form a significant part of the natural landscapes.

6.8 Usage of open space and constructions:

The major green open spaces in the Prohibited and Regulated Areas are used for plantation crops such as rubber, coconut or banana and paddy cultivation. Rubber plantations form a major green open space in the Southern part of the Regulated Area. The coconut plantations and paddy fields also constitute the green open spaces in the Western part of the Regulated Area. The brown open spaces are associated with religious structures such as Kattakampal Bhagwati Temple towards the North and a cemetery associated with Chirakal Juma Masjid towards the South. Vacant land is also part of the open space. Two water tanks form the major blue open spaces towards the Western part of the Prohibited and Regulated Area. They enable the catchment of run-off water during monsoon and help in groundwater recharge.

6.9 Traditional, Historical and Cultural activities:

Historically, the area was primarily used as a burial site, with remains of ritualistic iron implements and pottery found. Beyond this, there are no traditional or cultural activities associated with the Regulated or Prohibited Area except in the temples, mosques and churches in its vicinity.

6.10 Skyline as visible from the Protected Area and from Regulated Areas:

The skyline as viewed from the Protected Area varies across different directions. To the North, it is characterised by flat and sloping roofs of nearby commercial buildings, electrical poles, and vegetation, with a four-storied commercial building on the Eastern side standing out. A similar pattern is observed to the East, where commercial buildings, electrical poles, and vegetation dominate. In the South and West, the skyline is primarily shaped by neighbouring houses with sloping roofs. Within the Regulated Area, the Northern skyline consists mainly of two-storied houses with sloping roofs and tall native trees like coconut and rubber. The Eastern side of the skyline consists of commercial buildings, electrical poles, and vegetation. To the West, the skyline features two-storied houses with sloping roofs and native trees, while the South comprises residential and institutional buildings with flat or sloping roofs, along with tall coconut and rubber trees.

Due to the subterranean nature of the Protected Area, i.e., its location below ground level, it does not form part of the skyline visible from the Regulated Area.

6.11 Traditional Architecture:

Vernacular houses in the Prohibited and Regulated Areas traditionally feature rectilinear plans with sloping tiled roofs supported on timber rafters and battens, covered by Mangalore tiles. These structures typically include verandahs and rooms arranged around a central space, often accompanied by wells, sheds, and toilets. However, this architectural style is increasingly being replaced by modern constructions with concrete flat roofs, altering the traditional character of the settlement.

6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

There are no proposed or existing Development Plans or Zoning regulations available for Kattakampal.

6.13 Permissible Building related parametres:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built-open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in buildings/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument or Protected Area and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High-Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling, or glazing are to be discouraged as far as feasible. The use of locally available building materials should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20C(2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Area, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3 A Prohibited Area:

In general terms, as per Section 20A (4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out of any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument or Protected Area.

6.13.3 B Regulated Area:

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse, structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   i. The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **10.5 metres** (including gable roof, mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse, structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof.

   ii. Construction of the basement to be discouraged as far as feasible.

2. **Usage:**

   i. The conversion of land within the Prohibited Area or Regulated Area of a Protected Monument or Protected Area should be done after prior consultation with the National Monuments Authority (NMA).

   ii. As per the Web GIS-based Land Resource Information System of the Kerala State Land Use Board, the Protected Area and its surrounding area are designated as **"agricultural crops"**. To preserve the existing green cover and maintain the natural setting of the Protected Area, agricultural land-use should be retained. Exempted constructions permissible within agricultural land-use may be considered.

   iii. Commercial development should be discouraged within the Prohibited and Regulated Areas, as far as feasible.

   iv. The existing water bodies, open and green spaces, should be retained as existing.

v. Industrial activities should not be permitted within the Prohibited and Regulated Areas.

vi. To protect the environment and prevent soil erosion during heavy rains, the existing vegetation and mixed crop plantations in the Prohibited and Regulated Area should be preserved.

3. Façade design:

i. The façade design of new construction must be minimalistic in nature, so that it does not overpower the overall historic character of the surrounding area.

ii. The façade design should be subtle, plastered and painted in earthy colours.

iii. The use of vernacular architecture with traditional building materials should be encouraged.

iv. Informal extensions of shops and residences are to be restricted for all the buildings located within the Regulated Area.

v. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior façade should be discouraged.

vi. Use of coloured glazed façade should be discouraged.

vii. Plumbing and electrical services shall be concealed and not exposed on the exterior of the building.

4. Roof design:

i. Use of a traditional sloping roof system with terracotta roof tiles / Mangalore roof tiles should be encouraged.

ii. Erection of structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fibreglass, polycarbonate, or similar materials should be discouraged on the roof of the building.

iii. All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets, louvers, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

5. **Building materials:**

   i. Consistency in building materials and colour along all street façades of the Protected Area should be maintained.

   ii. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes.

   iii. Use of traditional building materials like laterite stone, clay/mud bricks, Mangalore tiles and timber should be encouraged. Modern building materials may be used for construction provided that the traditional architectural vocabulary of the region is followed.

6. **Colour:**

   The exterior colour should be of a neutral tone, which does not create a harsh contrast with the Protected Area and its immediate surroundings.

7. **Other Regulations:**

   Proposals for the construction of large-scale public infrastructure projects such as Metro Rail Systems (underground or elevated), rail or road over bridges, flyovers, multi-level parking facilities, or similar development projects and construction of institutional buildings in the public interest or which are essential for public, shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment (HIA) report. Such projects may be considered only if it is clearly established that they will not cause any significant adverse impact on the preservation, safety, security, visual integrity, or accessibility of the Protected Monument or Protected Area or its immediate surroundings.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities should be considered as far as feasible.

CHAPTER 7

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. As the Protected Area is situated adjacent to the major arterial Porkulam Kattakampal Road, any road widening proposals should be discouraged, as they may adversely impact the setting of the Protected Area.

ii. Construction of group housing should be discouraged in the Regulated Area of the Protected Area.

iii. The existing built-to-open space ratio and the green cover should be maintained.

iv. The existing vegetation and mixed crop plantations in the Prohibited and Regulated Area of the Protected Area should be preserved.

v. The existing public open spaces within the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Area, including those associated with religious structures and government buildings, should be preserved and maintained.

vi. The water bodies within the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Area should be preserved.

vii. Industrial activities should not be permitted within the Prohibited and Regulated Areas, considering the potential impact of ground vibrations on the structural stability of the Protected Area.

viii. The local administration should take proactive measures to prevent encroachments in the surroundings of the Protected Area.

ix. Telephone exchanges, mobile towers, electricity transmission towers, chimneys and overhead water tanks within the Regulated Area should be discouraged and their location beyond the Regulated Area may be considered.

x. LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Area or its immediate surrounding areas.

xi. No advertisements in the form of hoardings, bill boards and posters should be permitted near the Protected Area, especially on the boundaries of the Protected Area.

xii. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Area may be encouraged to mitigate adverse impacts on the Burial caves due to vehicular emissions and vibrations.

xiii. Construction of green buildings including best practices like rainwater harvesting etc. should be encouraged.

7.2 Other recommendations:

i. The greenery around the Protected Area should be maintained.

ii. In the event of recovery of any artefact or archaeological remains during the process of excavation for any reason, including digging of foundations, laying of pipes, cables, etc., the same should be immediately reported to the Archaeological Survey of India.

iii. Extensive publicity programmes may be conducted to increase public awareness about the historical and architectural significance of the Protected Area.

iv. Whenever the Master Plan, Zonal Plan or Development Plan is prepared or amended, it should clearly show all Protected Monuments and Protected Areas of national importance and their Prohibited and Regulated Area.

v. Provisions for differently-abled persons should be provided as per prescribed standards, as far as feasible.

vi. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

vii. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf.

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE-I

कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल की सर्वेक्षण योजना
Survey Plan of Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala

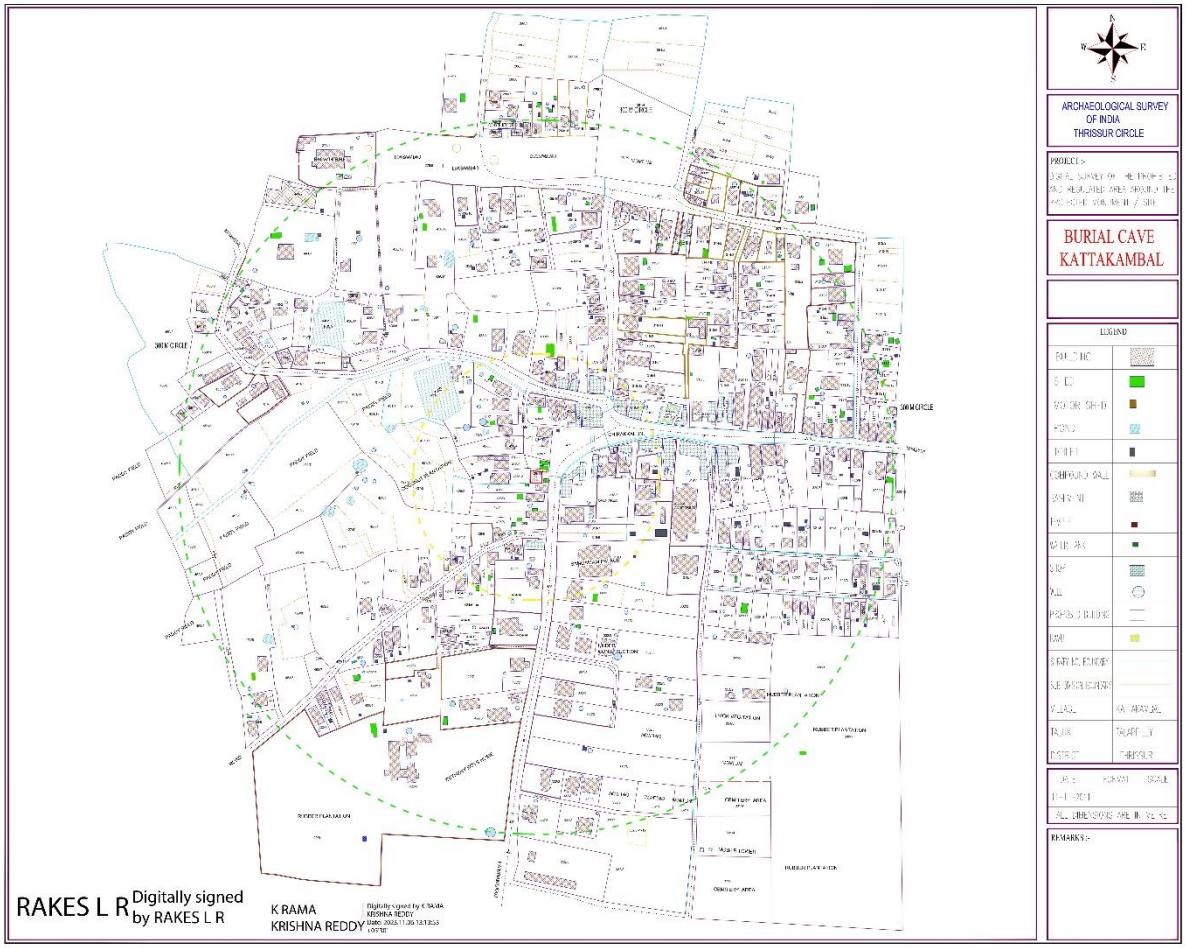

अनुलग्नक-II
ANNEXURE-II

संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचना
Notification of the Protected Area

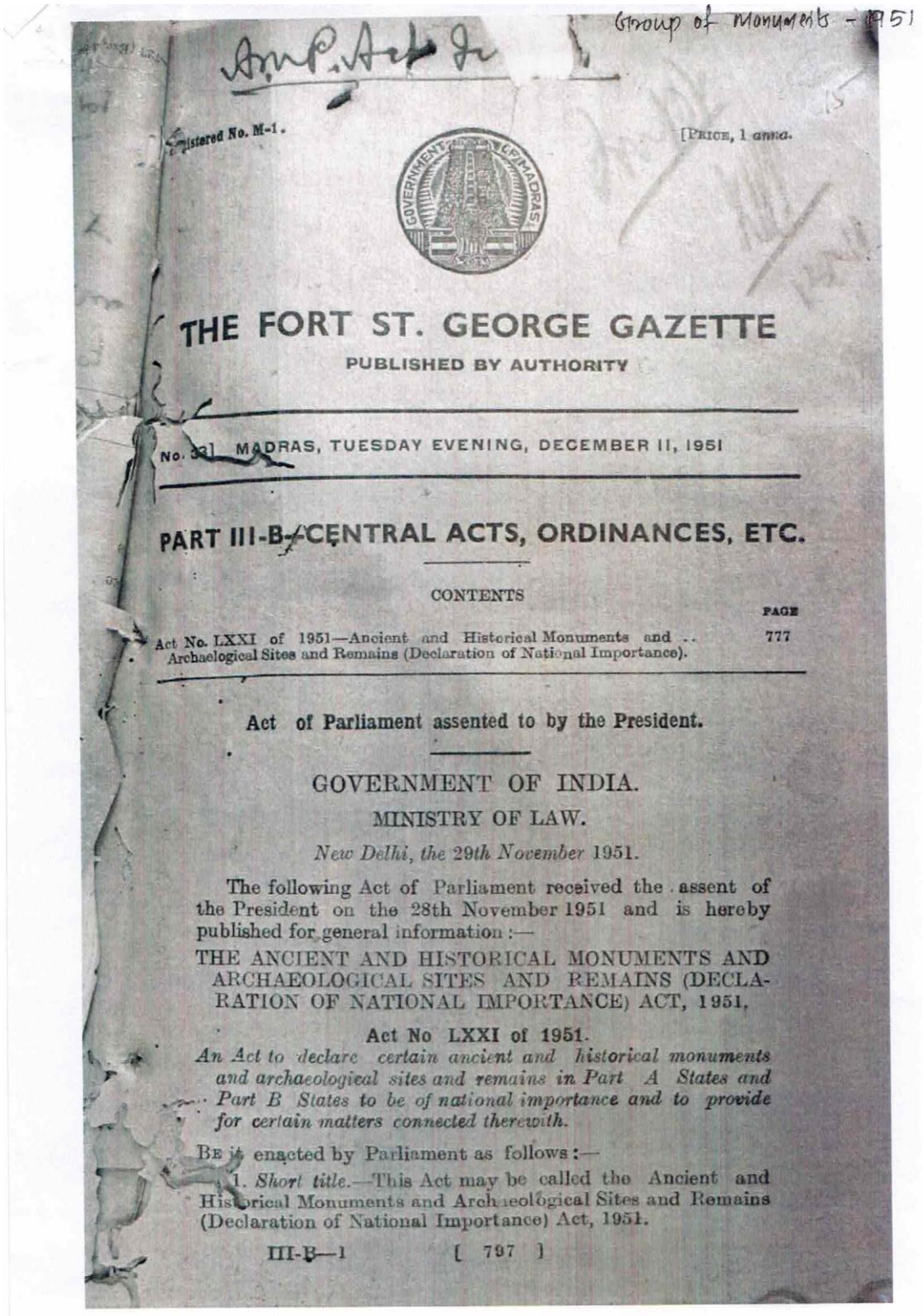

Group of Monuments - 1951

Registered No. M-1. [PRICE, 1 anna.

GOVERNMENT OF MADRAS

THE FORT ST. GEORGE GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 331 MADRAS, TUESDAY EVENING, DECEMBER 11, 1951

PART III-B—CENTRAL ACTS, ORDINANCES, ETC.

CONTENTS

	PAGE
Act No. LXXI of 1951—Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance).	777

Act of Parliament assented to by the President.

GOVERNMENT OF INDIA.

MINISTRY OF LAW.

New Delhi, the 29th November 1951.

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 28th November 1951 and is hereby published for general information :—

THE ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (DECLARATION OF NATIONAL IMPORTANCE) ACT, 1951.

Act No LXXI of 1951.

An Act to declare certain ancient and historical monuments and archaeological sites and remains in Part A States and Part B States to be of national importance and to provide for certain matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament as follows :—

1. *Short title.*—This Act may be called the Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951.

Serial number	*Name of archaeological site or remains.*	*Locality.*
	RAJASTHAN STATE—*cont.*	
	District Jaipur.	
22	Ancient mound	Abaneri.
23	Do.	Bundwali-Doongri.
24	Do.	Gariagarh (Newai).
25	Do.	Maheshra.
26	Do.	Nagar.
27	Do.	Raniwas.
28	Do.	Sikrai.
29	Devapura Barodia mounds	Jhalai.
30	Excavated site	Nagar.
31	Do.	Rairh (Newai)
32	Excavated sites	Bairat and Sambhar.
	District Jaisalmer.	
33	Ancient site	Lodruva Patan.
	District Jhalawar.	
34	Ancient ruins	Dalsagar Ganga Dhar.
35	Do.	Dudhaliya (Dag).
	District Kotah.	
36	Ancient ruins and structural remains ..	Krishnavilas.
37	Ruins of temples	Artu or Ganesh Ganj.
	District Udaipur.	
38	Ancient ruins	Kalyanpur.
39	Do.	Nagari.
40	Do.	Badoli.
	SAURASHTRA STATE.	
1	Ancient mound	Darbargadh Shihor.
2	Do.	Intwa.
3	Do.	Rangpur.
4	Do.	Sejakpur.
5	Do.	Valabhipur.
	TRAVANCORE-COCHIN STATE.	
1	Ariyannur Umbrellas. A prehistoric site consisting of seven or more Kudakals or umbrella stones.	Ariyannur.
2	Burial cave of Chovannur	Chovannur.
3	Burial caves of Eyyal	Eyyal.
4	Burial cave of Kandanasseri	Kandanasseri.
5	Burial cave of Kattakampal	Kattakampal.
6	Burial cave of Kakkad	Kunnamkulam.
7	Kudakallu Parambu. A prehistoric site consisting of 50 to 60 Kudakals or umbrella monuments.	Cheramanagad.

K. V. K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India.

(Republished by order of His Excellency the Governor)

K. V. RAJAGOPALAN,
Secretary to Government, Legal Department.

MADRAS : PRINTED AND PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS.

मूल अधिसूचना की टंकित प्रति

Typed Copy of Original Notification

THE FORT ST. GEORGE GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 33] MADRAS, TUESDAY EVENING, DECEMBER 11, 1951

Act of Parliament assented to by the President.

GOVERNMENT OF INDIA.

MINISTRY OF LAW.

New Delhi, the 29th November, 1951.

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 28th November, 1951 and is hereby published for general information:-

THE ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (DECLARATION OF NATIONAL IMPORTANCE) ACT, 1951.

Act No LXXL of 1951.

An Act to declare certain ancient and historical Monuments and archaeological sites and remains in Part A States and Part B States to be of national importance and to provide for certain matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament as follows:-

1. *Short title*. - This Act may be called the Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951.

TRAVANCORE-COCHIN STATE

1	Ariyannur Umbrellas. A prehistoric site Ariyannur consisting of seven or more Kudakals on umbrella stones.		
2	Burial cave of Chovannur ..	..	Chovannur
3	Burial caves of Eyyal ..	..	Eyyal
4	Burial cave of Kandanasseri ..	..	Kandanasseri
5	Burial cave of Kattakampal ..	..	Kattakampal
6	Burial cave of Kakked ..	..	Kunnamkulam
7	Kudakallu Parambu. A prehistoric site Cheramanagad consisting of 50 to 60 Kudakals or umbrella Monuments.		

K. V. K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India

अनुलग्नक-III
ANNEXURE-III

कट्टकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल की संरक्षित सीमा
Protected Boundary of Burial Cave of Kattakampal, District Thrissur, Kerala

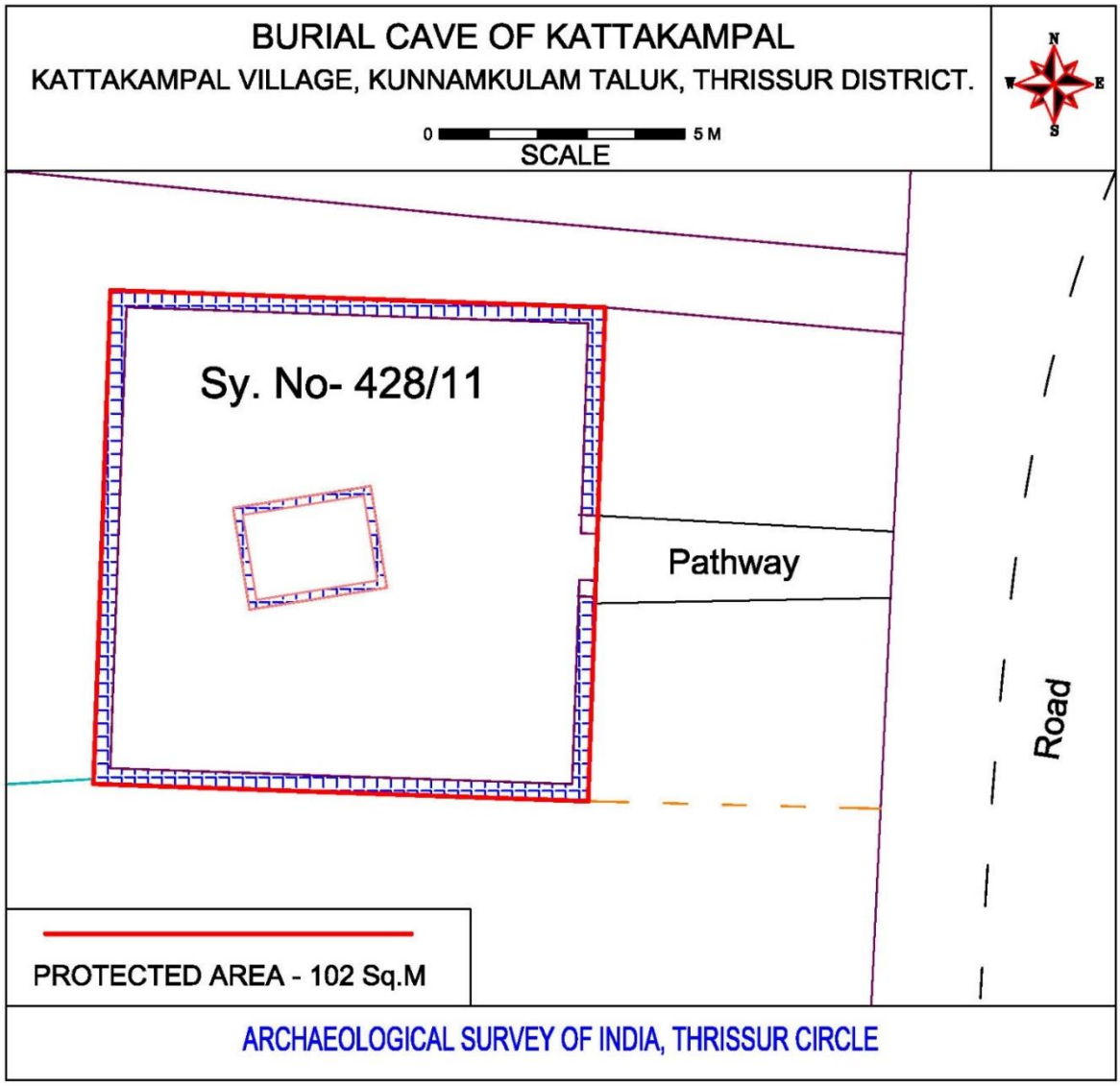

स्रोत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, त्रिशूर सर्किल
Source: Archaeological Survey of India, Thrissur Circle

अनुलग्नक-IV
ANNEXURE-IV

संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र
Images of the Protected Area and its surrounding areas

चित्र 1: संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश रैंप
Image 1: Entry ramp to the Protected Area

चित्र 2: संरक्षित क्षेत्र के परिसर का दृश्य
Image 2: View of the complex of the Protected Area

चित्र 3: संरक्षित क्षेत्र (1)
Image 3: The Protected Area (1)

चित्र 4: संरक्षित क्षेत्र (2)
Image 4: The Protected Area (2)

चित्र 5: संरक्षित क्षेत्र से पूर्वी की ओर का दृश्य
Image 5: View from the Protected Area to the Eastern side

चित्र 6: संरक्षित क्षेत्र से दक्षिणी ओर का दृश्य
Image 6: View from the Protected Area to the Southern side

चित्र 7: संरक्षित क्षेत्र से उत्तरी ओर का दृश्य
Image 7: View from the Protected Area to the Northern side

चित्र 8: संरक्षित क्षेत्र से पश्चिमी ओर का दृश्य
Image 8: View from the Protected Area to the Western side

चित्र 9: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में क्षितिज पर छाई बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत का दृश्य
Image 9: View of multi-storied commercial building dominating the skyline in the Prohibited Area

चित्र 10: संरक्षित क्षेत्र के प्रवेश द्वार के सामने व्यावसायिक भवन का दृश्य
Image 10: View of the commercial building in front of the entry gate of the Protected Area

चित्र 11: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में स्थित एक स्थानीय शैली की इमारत, जिसके भूतल पर व्यावसायिक दुकानें हैं।
Image 11: A vernacular style building located in the Prohibited Area with commercial shops on the ground floor

चित्र 12: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में स्थित एक स्थानीय शैली का घर
Image 12: A vernacular style house located in the Prohibited Area

चित्र 13: विनियमित क्षेत्र में सपाट छत वाला एक आधुनिक आवास
Image 13: A modern residence with flat roof in the Regulated Area

चित्र 14: विनियमित क्षेत्र में ढलान वाली छत वाला एक आधुनिक आवास
Image 14: A modern residence with sloping roof in the Regulated Area